क्रमांक 1834-ज(II)-81/35466.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है), की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री गोरधन सिंह, पुत्र श्री नेकी राम, गांव हरसाना कलां, तहसील व जिला सोनीपत, को खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1550-ज(II)-81/35470.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री मातु राम, पुत्र श्री गुहल्ला राम, गांव कटेसरा, तहसील व जिला रोहतक, को रबी, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 6 अक्तूबर, 1981

क्रमांक 1972-ज(I)-81/35145.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बुद्ध राम बिशनोई, पुत्र श्री चुनी लाल बिशनोई, गांव जन्डवाला बिशनोईयां, तहसील मंडी डब्वाली, जिला सिरसा, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1841-ज(I)-81/36150.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बिहारी लाल, पुत्र श्री गोपाल, ग्राम सिहोर, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गयी शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 7 अक्तूबर, 1981

क्रमांक 1906-ज(I)-81/36391.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती गिन्दोडी देवी, विधवा श्री मोहन लाल, ग्राम राजगढ़, तहसील बावल, जिला महेन्द्रगढ़, को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

शुद्धि-पत्र

दिनांक 16 सितम्बर, 1981

क्रमांक 1730-ज-I-80/33643.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 965-ज-I-80/23187, दिनांक 8 जुलाई, 1980 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 19 अगस्त, 1980 को प्रकाशित हुई है, की तीसरी लाईन में "श्री तोसा सिंह" की बजाये "श्री तोता सिंह" पढ़ा जाये।

दिनांक 18 सितम्बर, 1981

क्रमांक 649-ज-I-80/33976.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 115-ज-I-80/6386, दिनांक 19 फरवरी, 1980 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 4 मार्च, 1980 में प्रकाशित हुई है, के क्रमांक 3 में गांव का नाम "डुलियाना" की बजाये डुलियाना" पढ़ा जाये।

क्रमांक 1753-ज-II-81/34170.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 678-ज-81/24065, दिनांक 14 जुलाई, 1981 में गांव का नाम "रेवू" की बजाये "रिढाऊ" पढ़ा जाये।

क्रमांक 94-ज-II-80/34174.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 1671-ज-II-79/44340, दिनांक 31 अक्तूबर, 1979 जो कि हरियाणा सरकार के राज-पत्र में दिनांक 20 नवम्बर, 1979 में प्रकाशित हुई है की तीसरी लाईन में गांव का नाम "छरसोली" की बजाये "करसोला" पढ़ा जाये।

देस राज सतीजा,
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

1648 CS (H)—Govt. Press, Chd.